दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२५९ वा | शनिवार १९ एप्रिल २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

कासले क़ैद में बीड पोलिस को किया था चॅलेंज

बीड़, १८ अप्रैल (प्रतिनिधि):

बीड़ के साइबर पुलिस थाने में कार्यरत विवादित निलंबित पुलिस उपनिरीक्षक रंजीत कसले को अंततः छत्रपती संभाजीनगर के विशेष पुलिस महानिरीक्षक विरेंद्र मिश्र द्वारा गुरुवार देर रात पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। उस पर एट्रॉसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस उसकी तलाश में थी।

गौरतलब है कि रंजीत कसले को २६ मार्च को निलंबित किया गया था, जब उसने एक आरोपी को बिना अनुमति गुजरात ले जाकर उस पर पैसे लेने का आरोप झेला। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल किए, जिनमें से एक में उसने एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इस मामले में बीड़ के एक वकील की शिकायत पर १४ अप्रैल को शिवाजीनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन वह लगातार फरार था। उसने एक वीडियो में महाराष्ट्र पुलिस को चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखाओ। गुरुवार रात वह पुणे पहुंचा और विमानतल पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उसने सरकार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, और राकांपा नेता धनंजय मुंडे तथा रुकन ब'१लियामेंट कंअ्मिक कराड पर भी तीखे आरोप लगाए।

गुरुवार देर रात ही आईजी विरेंद्र मिश्र ने उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। शुक्रवार सुबह पुलिस ने उसे बीड़ में एक लॉज से गिरफ्तार कर लिया, जहाँ वह छिपा हुआ था।

इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है और एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि निलंबित अधिकारियों की निगरानी और नियंत्रण पर प्रशासन कितना सजग है।

बीड़ में महिला वकील की सरपंच द्वारा पिटाई

डीजे की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन गई थी, विपक्ष ने की गिरफ्तारी की मांग

मुंबई, १८ अप्रैल (अज़ीज़ एजाज़): बीड़ ज़िले के अंबाजोगाई तालुका के एक गांव में महिला वकील को डीजे की आवाज़ से होने वाली परेशानी की शिकायत दर्ज कराने के दौरान गांव के सरपंच और उसके साथियों ने बेरहमी से पीटा। महिला वकील को डंडों और पाइपों से इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कड़ा हमला बोला है।

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि गांव की एक महिला वकील ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गई थी, जहां सरपंच और उसके साथियों ने उसकी पिटाई की। इस हमले के कारण वह बेहोश हो गई, लेकिन उसे उसी रात अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सपकाल ने इसे बेहद निंदनीय बताया और कहा कि यह घटना राज्य सरकार की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने सवाल किया कि जब एक महिला वकील को ही सुरक्षा नहीं मिलती, तो आम महिलाओं का क्या होगा? सपकाल ने कहा कि महाराष्ट्र को एक पूर्णकालिक गृहमंत्री की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आरोपी के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की जाए। एनसीपी शरद पवार गुट की महिला प्रदेश अध्यक्ष रोहिणी खडसे ने भी इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना के कारण कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र अब बिहार से भी आगे निकल गया है।

दीड़ करोड़ सदस्य बनाकर महाराष्ट्र भाजपा ने रचा इतिहास-अरुण सिंह

२२ अप्रैल तक एक लाख बूथ समितियों के गठन का लक्ष्य

मुंबई, विशेष प्रतिनिधि:

भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के अंतर्गत महाराष्ट्र भाजपा ने १.५ करोड़ से अधिक प्राथमिक सदस्य और १.३४ लाख से अधिक सक्रिय सदस्यों की सदस्यता अभियान के माध्यम से इतिहास रच दिया है, ऐसा बयान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (मुख्यालय) सांसद अरुण सिंह ने मुंबई में आयोजित पत्रकार परिषद में दिया। उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए महाराष्ट्र भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में अरुण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के नेतृत्व में संगठन पर्व अत्यंत सफल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक पार्टी के ७०% बूथ समितियों का गठन हो चुका है और २२ अप्रैल तक १ लाख बूथ समितियों का गठन करने का लक्ष्य है।

सिंह ने कहा कि पार्टी के ढांचे के अनुसार प्रत्येक बूथ समिति में १२ सदस्य होते हैं, जिससे १२ लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं की फौज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विकसित महाराष्ट्र के निर्माण में कार्यरत रहेगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो संगठन सर्वोपरि की सोच पर काम करती है, जहां आंतरिक लोकतंत्र, सामूहिक निर्णय और आपसी संवाद पार्टी की प्रमुख विशेषताएं हैं। राज्य की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कहा कि जनवरी से पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने घर-घर जाकर सदस्यता अभियान चलाया और १.५ करोड़ प्राथमिक सदस्यों का लक्ष्य प्राप्त किया। अब तक करीब १.४० लाख सक्रिय सदस्य बन चुके हैं और पार्टी का लक्ष्य ३ लाख सक्रिय सदस्य बनाने का है, जिसके लिए जोरशोर से प्रयास किए जा रहे हैं।

चव्हाण ने यह भी बताया कि २० अप्रैल को राज्य के सभी ११९६ मंडल अध्यक्षों का चुनाव पर्यवेक्षकों की निगरानी में किया जाएगा। मंडल चुनावों के बाद, २२ अप्रैल से संगठन पर्व के अगले चरण में नए जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए जिलेवार पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।

लाभकारी ज़मीन सौदे की जांच तो होनी ही चाहिए - अरुण सिंह

एक प्रश्न के उत्तर में खा. अरुण सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने एक कंपनी से ७ करोड़ रुपये में ज़मीन खरीदी और उसी कंपनी को चार महीने बाद ५८ करोड़ में वापस बेच दी। जब इतनी बड़ी कीमत में जमीन बेची जाती है, तो उस सौदे की जांच तो निश्चित रूप से होगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया।

डिफेंस क्लस्टर तैयार करके उद्यमियों की क्षमताओं को बढ़ावा दें-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

संरक्षण सामग्रियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा देश-रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

औरंगाबाद १८ अप्रैल: उद्योग के लिए उत्कृष्ट परिवेश वाले छत्रपती संभाजीनगर के उद्यमियों की धैर्य और कल्पकता की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि यहां डिफेंस क्लस्टर तैयार करके उद्यमियों की क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाए।

मराठवाड़ा: आत्मनिर्भर भारत की रक्षा भूमि विषय पर चेंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रिज एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित चर्चासत्र में श्री फडणवीस यह बात कह रहे थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा सामग्रियों के उत्पादन की आयात पर निर्भरता को कम करके भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। वर्तमान में ५०० से अधिक उत्पाद भारत में बन रहे हैं। रक्षा सामग्री उत्पादन के क्षेत्र में अमर्यादित अवसर मौजूद हैं। इस दिशा में छत्रपती संभाजीनगर के उद्यमियों को सम्मिलित करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में दिल्ली जाने और आगे की चर्चा करने का निमंत्रण उन्होंने दिया।

इस चर्चासत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ

बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विपणन मंत्री जयकुमार रावल, मंत्री अतुल सावे, सांसद डॉ. भागवत कराड, आ. नारायण कुचे, आ. अनुराधा चव्हाण, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्यमी उपस्थित थे। चर्चासत्र की शुरुआत मान्यवरों के द्वारा वृक्ष पूजन से हुई।

मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अब छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्र का उद्योग मॅग्नेट बन चुका है। औद्योगिक वसाहत के लिए १०,००० एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है और अब और ८,००० एकड़ भूमि उद्यमियों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। यहां मानव संसाधन, परिवहन और ऊर्जा जैसी सभी आवश्यकताएं उपलब्ध हैं, जो उद्यमियों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करती हैं।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण उद्योग में छत्रपती संभाजीनगर अग्रणी है, और अब यहां के उद्यमियों को रक्षा सामग्री उत्पादन में भी आगे आना चाहिए। इसके लिए रक्षा मंत्री को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने छत्रपती संभाजीनगर में डिफेंस क्लस्टर विकसित करने का आह्वान किया, क्योंकि इस क्षेत्र में अमर्यादित अवसर हैं और यहां के उद्यमियों में पूरी क्षमता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यहां के उद्यमियों के धैर्य और उत्साह की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की जो तड़प यहां दिख रही है, वह प्रेरणादायक है। उन्होंने यह भी बताया कि अब हम रक्षा सामग्रियों का निर्यात भी शुरू कर चुके हैं, जो ६०० करोड़ से बढ़कर २,४०० करोड़ तक पहुंच गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि छत्रपती संभाजीनगर की औद्योगिक व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट है और यहां के उद्यमियों को दिल्ली आकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए।

सादरीकरण में महत्वपूर्ण बिंदु:

छत्रपती संभाजीनगर एक अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र है, जहां ५,००० से अधिक उद्योग हैं। यह राज्य में निर्यात में २७वां और ऋढढ संग्रहण में चौथा स्थान रखता है। यहां ३ लाख से अधिक कर्मचारी सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकृत हैं।

यहां १०,००० एकड़ पर फैली औद्योगिक वसाहत स्थापित की गई है, और सभी भूमि उद्योगों को वितरित की गई है।

यहां रक्षा उत्पाद उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन अवसर हैं। इस जिले को समृद्धि महामार्ग, रेलवे, और विमान सेवा के माध्यम से जोड़ा गया है।ऑटो क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, और मैजिक स्टार्टअप इनक्यूबेटर जैसी सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यहां के उद्यमी तैयार हैं और हवाई तंत्र और रक्षा उद्योग में योगदान देने के लिए तैयार हैं। छत्रपती संभाजीनगर में डिफेंस पार्क बनाने और उद्योगों के क्लस्टर तैयार करने का पूरा अवसर है, जो बिडकीन या आरापूर औद्योगिक वसाहत में स्थापित किया जा सकता है।

आधार केंद्र संचालकों के मानधन में बढ़ोतरी-मंत्री आशीष शेलार

मुंबई, विशेष प्रतिनिधि:

राज्य सरकार ने आधार केंद्र संचालकों के मानधन में बढ़ोतरी की है। अब आधार पंजीकरण के प्रति फॉर्म पर संचालकों को २० रुपये की बजाय ५० रुपये दिए जाएंगे, इसकी जानकारी राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने शुक्रवार को दी।

उन्होंने बताया कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार में महाराष्ट्र अग्रणी है और आधार केंद्रों की ओर से आधुनिक आधार किट की मांग की जा रही थी। इसके तहत अब नई आधार किट्स सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

शुक्रवार को रवींद्र नाट्य मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुंबई शहर और उपनगर के लगभग १०० आधार केंद्र संचालकों को आधार किट्स वितरित की गईं। इस अवसर पर आईटी विभाग के निदेशक अनिल भंडारी, मुंबई शहर के जिलाधिकारी अंथल गोयल, मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

फुले-शाहू-आंबेडकर के बलिदान से मिली स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना को हर किसी को संभालकर रखना चाहिए-जे.डी. शाह

गेवराई (बीड़), विशेष प्रतिनिधि:

क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले और भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जैसे महापुरुषों ने दुनिया को शांति और समानता का संदेश दिया। संत तुकाराम महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और संत गाडगे बाबा जैसे संतों के विचारों को समाहित करते हुए समता पर आधारित संविधान तैयार करने वाले डॉ. आंबेडकर को जादूगर की उपमा देते हुए वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जे.डी. शाह ने कहा कि हमें उनके बलिदान से मिली स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को सहेजकर रखना चाहिए।

वह महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के बस डिपो, गेवराई में आयोजित महात्मा फुले और डॉ. आंबेडकर की संयुक्त जयंती समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिपो मैनेजर एल.बी. मस्के ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट सुभाष निकम, आरपीआई अध्यक्ष किशोर खांडेकर, रत्नमाला मोटे, पूर्व नगराध्यक्ष विनोद सौंदरमल, बुद्धघोष पाटेकर, दादा घोडके, कबीरदास कांबले, संतोष सुतार, अनिल बोराडे सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

इस अवसर पर कुमारियों ज्ञानेश्वरी मस्के और अमृता वडमारे ने डॉ. आंबेडकर और फुले के जीवन पर आधारित कविताएं प्रस्तुत कर उपस्थितों का मन जीत लिया।

जे.डी. शाह ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज संविधान को सत्ता प्राप्ति की सीढ़ी मानने वाले वे लोग हैं, जिन्होंने न तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और न ही तिरंगे को सम्मान दिया। ऐसे लोगों की

मंशा देश को फिर से पुराने दिनों में ले जाने की है, इसलिए हमें संविधान की मर्यादा की रक्षा हेतु सजग रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि डॉ. आंबेडकर ने बहुजन और वंचित समाज को सत्ता में भागीदारी के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा था कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग चाहिए, तो विधायक, सांसद और मंत्री बनो - मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में स्वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन आज एक ही जाति के लोग ही सत्ता के सभी पदों पर पहुंच रहे हैं, जो कि डॉ. आंबेडकर की सोच के विपरीत है।

उन्होंने अफसोस जताया कि अगर बाबासाहेब आज जीवित होते तो शायद कहते कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्वार्थी निकलोगे, तो मैं यह संविधान ही न लिखता। उन्होंने यह भी कहा कि आज सामाजिक समरसता के विचार खतरे में हैं, और संविधान को बचाने के लिए फिर से एक क्रांति की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि संविधान सभी वर्गों - किसानों, महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों - तक पहुंचना चाहिए और उसे समझाया जाना चाहिए। आज सोशल मीडिया के ज़रिए झूठ और धार्मिक वैमनस्य फैलाया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए।उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि संविधान देश का विश्वास है। यह गर्व की बात है कि आज बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश को एक दलित समाज से न्यायमूर्ति भूषण गवई के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मिला है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। पिछले ७५ वर्षों में इस पर १४० संशोधन हुए, फिर भी कोई संवैधानिक संकट नहीं आया। यह संविधान की स्थिरता का प्रमाण है। संविधान के कारण सभी वर्गों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अवसर मिल रहे हैं और इसके मूल सिद्धांतों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है।

कार्यक्रम में परिवहन महामंडल के कर्मचारी, पदाधिकारी, महिलाएं और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सचिन ढेरे ने किया और आभार प्रदर्शन सौ. मस्के ताई ने किया।

एडवोकेट सुभाष निकम, किशोर कांडेकर और सौ. रत्नमाला मोटे ने मार्गदर्शन कर विचार प्रस्तुत किए।

वक़्फ संशोधन बिल के विरोध में लोकसेना द्वारा दिए गए ज्ञापन पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिया संज्ञान

लोकसेना प्रमुख एडवोकेट प्रो. इलियास इनामदार से की गई चर्चा

बीड़ प्रतिनिधि: केंद्र की भाजपा मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए मुस्लिम विरोधी वक़्फ काला कानून २०२४ के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसेना संगठन द्वारा भेजे गए ज्ञापन पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए स्वयं संपर्क कर चर्चा की है। लोकसेना प्रमुख एडवोकेट प्रो. इलियास इनामदार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से फोन पर बताया गया कि उनका ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि १७ मार्च को दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून के खिलाफ धरना आंदोलन आयोजित किया गया था, जिसमें देशभर की विभिन्न संगठनों ने समर्थन जताया था। लोकसेना ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, व विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिल्ली में ज्ञापन भेजा था।

लोकसेना प्रमुख इलियास इनामदार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक मोदी सरकार यह वक़्फ काला कानून वापस नहीं लेती, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मार्गदर्शन में गली से लेकर दिल्ली तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि २ और ३ अक्टूबर २०२४ को लोकसेना ने दिल्ली में इसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और आगे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर आंदोलन में लोकसेना सक्रिय रूप से भाग लेती रहेगी।

लोकसेना प्रमुख एडवोकेट प्रो. इलियास इनामदार ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि इस काले कानून के विरोध में उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक यह कानून रद्द नहीं कर दिया जाता।

अमित शाह की निजी मुलाकात के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल क्यों?

अंजली दमानिया का सरकार पर हमला

जमीर काजी कि रिपोर्ट

मुंबई,: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सांसद सुनील तटकरे के निवास पर हुई निजी मुलाकात के लिए सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई से लाखों रुपये क्यों खर्च किए?, ऐसा सवाल सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा है। पिछले सप्ताह अमित शाह ने रोहा के सुतारवाड़ी में तटकरे के घर जाकर दोपहर का भोजन किया था। इस अवसर पर सरकार द्वारा तत्काल चार हेलीपैड बनाए गए थे।

अंजली दमानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हेलीपैड निर्माण के लिए जारी की गई निविदा को सामने लाते हुए राज्य सरकार, देवेंद्र फडणवीस और सुनील तटकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स के पैसों से शाह-तटकरे की मुलाकात के लिए चार-चार खास हेलीपैड? जबकि यह एक निजी मुलाकात थी, तो इसका खर्च सरकारी खजाने से क्यों उठाया गया?

दमानिया ने कटाक्ष करते हुए लिखा, अगर अमित शाह को भोजन

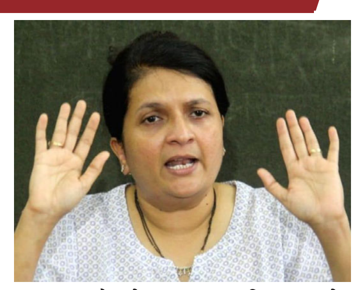

करवाना है तो करवा लीजिए, चाहे सोने की थाली में ही क्यों न करवाएं, लेकिन वह भी हमारे टैक्स के पैसे से क्यों? तटकरें की बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, तो वे खुद खर्च क्यों नहीं उठाते?

उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस को पुनःश्च अभिनंदन, सिंचाई घोटाले को भुलाकर नई सरकार में बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह अमित शाह के लिए सांसद तटकरे के निवास पर विशेष भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम की एक तस्वीर को लेकर भी पहले दमानिया ने सरकार पर निशाना साधा था। अब एक बार फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए सरकार पर जोरदार हमला बोला है।

वक़्फ़ क़ानून पूरी तरह रद्द होने तक हमारी जंग जारी रहेगी-मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुंबई में भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी धर्मों के विद्वानों की सहभागिता

मुंबई, १८ अप्रैल (प्रेस प्रतिनिधि):

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए वक़्फ़ संशोधन कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से मुंबई के मराठी पत्रकार संघ भवन में एक विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ विभिन्न धर्मों के विद्वान, मुस्लिम धर्मगुरु और सामाजिक चिंतकों ने भाग लिया।

इस अवसर पर जिन प्रमुख वक्ताओं ने संबोधित किया, उनमें बोर्ड के महासचिव मौलाना फ़ज़लुर्रहमान मुजद्ददी, उपाध्यक्ष मौलाना ओबैदुल्लाह आज़मी, उपाध्यक्ष सैयद सादतुल्ला हुसैनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद इलियास क़ासिम रसूल, महाराष्ट्र संयोजक मौलाना महमूद अहमद खाँ दरियाबादी, प्रोफेसर मोनिसा बशरी आबिदी, शिया धर्मगुरु मौलाना रूह ज़फ़र, मौलाना अब्दुस्सलाम सलफ़ी, तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्याम कावड़े और विवेक कावड़े शामिल रहे।

१७ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि अदालत ने अभी केवल वक़्फ़ संशोधन कानून की ४४ में से २ धाराओं पर ही अस्थायी रोक लगाई है। जब तक यह कानून पूरी तरह रद्द नहीं किया जाता, तब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में यह आंदोलन जारी रहेगा।

बंगाल हिंसा से जुड़े एक सवाल के जवाब में बोर्ड के प्रवक्ता ने हर प्रकार की हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि मंदिरों, मस्जिदों या धार्मिक स्थलों के सामने तलवारें लहराकर उकसावे और पथराव जैसी घटनाएं निंदनीय हैं और इनका विरोध भी किया जाना चाहिए।

वक्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि सत्तारूढ़ दल ने अपनी संख्या बल के आधार पर करोड़ों मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और न्यायप्रिय नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध संविधान विरोधी और भेदभावपूर्ण संशोधन पारित किए हैं, जिन्हें हम पूरी तरह खारिज करते हैं।

उन्होंने कहा कि यह संशोधन न केवल संविधान के अनुच्छेद २५ और २६ का उल्लंघन हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता, उपासना और संस्थानों के संचालन का अधिकार सुनिश्चित करते हैं, बल्कि सरकार द्वारा वक़्फ़ की संपत्तियों पर नियंत्रण की मंशा को भी उजागर करते हैं। इन संशोधनों के तहत अब मुस्लिम समुदाय को अपने धार्मिक वक़्फ़ का स्वतंत्र संचालन करने से भी रोका जा रहा है।

वक्ताओं ने यह भी कहा कि वक़्फ़ बोर्ड और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद के सदस्यों के चयन प्रक्रिया में किए गए बदलाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त, वक़्फ़ संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति के लिए '५ साल से धार्मिक रूप से सक्रिय मुसलमान' होने की शर्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४ और २६ के साथ-साथ इस्लामी शरई सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि यह संशोधन भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि अन्य धर्मों जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदायों को उनके धार्मिक संस्थानों के संचालन के जो अधिकार और संरक्षण प्राप्त हैं, उनसे मुस्लिम समुदाय को वंचित किया गया है।

बोर्ड ने यह भी बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अनेक धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने संसद की संयुक्त समिति (गझउ) के समक्ष मौखिक और लिखित रूप से अपना विरोध दर्ज कराया था। ५ करोड़ से अधिक मुसलमानों ने भी ईमेल के माध्यम से विरोध दर्ज कराया था, लेकिन संसदीय प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करते हुए इन्हें खारिज कर दिया गया।

अब, इस कानून के खिलाफ एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, वहीं दूसरी ओर जनता की अदालत में भी जाकर शांतिपूर्ण आंदोलन की योजना बनाई गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन माह के शांति पूर्ण आंदोलन की विस्तृत रणनीति तैयार की है, जिसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाएगा। राज्य स्तर पर एक व्यापक आंदोलन की रूपरेखा भी घोषित की गई है, जिसमें विभिन्न धार्मिक संगठन, अल्पसंख्यक संस्थाएं, धार्मिक-सामाजिक नेता और नागरिक समाज के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह पूरा कार्यक्रम संविधान और कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाएगा।

हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं-राज ठाकरे

हिंदी अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ एमएनएस का महाराष्ट्र भर में जोरदार विरोध, मुंबई-पुणे में जीआर की प्रतियां जलाई गईं

मुंबई, १८ अप्रैल (अज़ीज़ एजाज़): महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने के निर्णय का जोरदार विरोध किया है। मुंबई, पुणे सहित राज्य के कई शहरों में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश (जीआर) की प्रतियां जलाकर नाराजगी जताई।

इस संबंध में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं्। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार को टकराव और आंदोलन से बचना है तो वह इस विवादास्पद निर्णय को तुरंत वापस ले।

राज ठाकरे ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्रचना के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एमएनएस राज्य के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाए

जाने का पुरजोर विरोध करेगी। अगर इस मुद्दे पर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर जगह हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसे महाराष्ट्र में सफल नहीं होने देंगे। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि अन्य भाषाओं की तरह एक क्षेत्रीय भाषा है। ऐसे में महाराष्ट्र में पहली कक्षा से ही इसे अनिवार्य क्यों किया जा रहा है?

ठाकरे ने यह मांग की कि त्रिभाषा फार्मूले को केवल सरकारी कामकाज तक सीमित रखा जाए और इसे स्कूली शिक्षा पर लागू न किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र पर दूसरी राज्यों की भाषाएं क्यों थोपी जा रही हैं?

गौरतलब है कि राज्य शालेय पाठ्यक्रम योजना २०२४ के अनुसार, महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी को अनिवार्य किया गया है, जिसे लेकर राज्यभर में विरोध तेज़ हो गया है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com